

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन

राजकीय आई0टी0आई0 परिसर अलीगंज, लखनऊ

संख्या: /उ0प्र0कौ0वि0मि0/एस/2021-22/का.आ./1656

दिनांक:- 17 मई, 2021

कार्यालय - ज्ञाप

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित विभिन्न कौशल प्रशिक्षण योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 से प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रशिक्षणार्थियों की आधार इनेबुल्ड बायोमैट्रिक उपस्थिति अनिवार्यतः सुनिश्चित की जायेगी।

इसके अतिरिक्त मिशन द्वारा समस्त जनपदों में (डी0डी0यू0-जी0के0वाई0 के अतिरिक्त) प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति के न्यूनतम मानक कौशल विकास एवम् उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित कौशल प्रशिक्षण योजनाओं के समरूप रहेंगे, जो वर्तमान में 70 प्रतिशत हैं।

उक्त आदेश राज्य संचालन समिति की 14वीं बैठक दिनांक 30.03.2021 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

(कृणाल सिल्कू)
मिशन निदेशक

संख्या: 126 /उ0प्र0कौ0वि0मि0/एस/2021-22/का.आ./1656

तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, श्रम, उ0प्र0 शासन।
3. सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त प्रकोष्ठ प्रभारी, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन।
5. समस्त जिला समन्वयक, जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन।
6. समस्त प्रशिक्षण प्रदाता (राजकीय, निजी, फ्लैक्सी) अनुबंधित, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन।
7. कार्यालयादेश पंजिका।
8. गार्ड फाइल।



(कृणाल सिल्कू)
मिशन निदेशक